

Seventeenth Loksabha

pan>

Title: Papers Laid on the Table of the House by Ministers/Members.

HON. CHAIRPERSON: Now, Papers to be laid.

Item no. 2. Shri Arjun Ram Meghwal.

... (*Interruptions*)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): महोदय, श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी की ओर से, मैं विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 19 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) का.आ. 1004(अ) जो 7 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस), 2022, अनुसूची-एक (आयात नीति) के अध्याय 01 के आईटीसी एचएस 0106 90 00 के अंतर्गत मदों की आयात नीति में संशोधन के बारे में है।
- (2) का.आ. 1145(अ) जो 14 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस), 2022, अनुसूची-एक (आयात नीति) के अध्याय 29 और 38 के अंतर्गत आयात नीति में संशोधन और नीति शर्त के अंतःस्थापन के बारे में है।
- (3) का.आ. 1463(अ) जो 29 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस), 2022, अनुसूची-एक (आयात नीति) के अंतर्गत उड़द दाल (एसपीपी विग्ना मूंगो (एल) हिप्पर की फलियां) [आईटीसी (एचएस) कोड 0713

- 3110] और तूर/अरहर [आईटीसी (एचएस) कोड 0713 60 00] (केजैनस कजान) की आयात नीति में संशोधन के बारे में है।
- (4) का.आ. 1559(अ) जो 01 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस), 2022, अनुसूची-एक (आयात नीति) के अंतर्गत यूरिया [एक्जिम कोड 31021000] की आयात नीति शर्त में संशोधन के बारे में है।
- (5) का.आ. 2031(अ) जो 30 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस), 2022, अनुसूची-एक (आयात नीति) के अध्याय 71 के अंतर्गत आईटीसी (एचएस) कोड 71123000, 71129100, 71129200, 71129910, 71129920 और 71129990 की आयात नीति में संशोधन के बारे में है।
- (6) का.आ. 2053(अ) जो 02 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो दिनांक 24.08.2021 की अधिसूचना सं. 20/2015-20 के अंतर्गत उपबंधों की छूट को विस्तारित किये जाने के बारे में है।
- (7) का.आ. 2320(अ) जो 19 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस), 2022, अनुसूची-एक (आयात नीति) के अध्याय 09 के अंतर्गत ताजा अदरक की आयात नीति शर्त में संशोधन के बारे में है।
- (8) का.आ. 2357(अ) जो 23 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस), 2022, अनुसूची-एक (आयात नीति) के अध्याय 29 और 30 के अंतर्गत आयात नीति शर्त में संशोधन के बारे में है।
- (9) का.आ. 2378(अ) जो 25 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस), 2022, अनुसूची-एक (आयात नीति) के अध्याय 48 में नीति शर्त के समावेश और कागज की आयात नीति में संशोधन के बारे में है।
- (10) का.आ. 2821(अ) जो 21 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में

प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस), 2022, अनुसूची-एक (आयात नीति) के अध्याय-12 के आईटीसी (एचएस) कोड 1207 70 90 के अंतर्गत तरबूज बीजों की आयात नीति शर्त में संशोधन के बारे में है।

- (11) का.आ. 1549(अ) जो 31 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो विदेश व्यापार नीति 2015-20, जो 31 मार्च, 2022 तक वैध थी, का विस्तार 30 सितम्बर 2022 तक करने के बारे में है।
- (12) का.आ. 1269(अ) जो 23 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस) निर्यात नीति, 2018, अनुसूची-दो अध्याय-10 क्रम सं. 55 और 57 की नीति शर्त में संशोधन के बारे में है।
- (13) का.आ. 1270(अ) जो 23 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस), 2018 के अध्याय 29 और 38 के अंतर्गत निर्यात नीति में संशोधन और नीति शर्त के अंतःस्थापन के बारे में है।
- (14) का.आ. 2162(अ) जो 9 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ग्वार गम की निर्यात नीति में संशोधन के बारे में है।
- (15) का.आ. 2235(अ) जो 14 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो प्याज बीजों की निर्यात नीति में संशोधन के बारे में है।
- (16) का.आ. 2236(अ) जो 14 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गेहूं की निर्यात नीति में संशोधन के बारे में है।
- (17) का.आ. 2321(अ) जो 19 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बांस चारकोल की निर्यात नीति में संशोधन के बारे में है।
- (18) का.आ. 2375(अ) जो 25 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में

प्रकाशित हुआ था तथा जो चीनी की निर्यात नीति में संशोधन के बारे में है।

- (19) का.आ. 2985(अ) जो 30 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस) निर्यात नीति की अनुसूची दो के अध्याय 27 के एचएस कोड 27101241, 27101242, 27101243, 27101244, 27101249, 27101941, 27101944 और 27101949 के अंतर्गत मदों की निर्यात नीति में संशोधन के बारे में है।

[Placed in Library, See No. LT 7144/17/22]

... (व्यवधान)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI RAJEEV CHANDRASEKHAR): Sir, I beg to lay on the Table a copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 55 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016:-

1. The Aadhaar (Authentication and Offline Verification) (First Amendment) Regulations, 2022 (No. 01 of 2022) published in Notification No. K-11020/240/2021/Auth/UIDAI (No. 01 of 2022) in Gazette of India dated 4th February, 2022.
2. The Aadhaar (Enrolment and Update) (Ninth Amendment) Regulations, 2022 (No. 2 of 2022) published in Notification No. HQ-16041/4/2021-EU-I-HQ-Part(I)(No.2 of 2022) in Gazette of India dated 3rd March, 2022.
3. The Aadhaar (Appointment of Officers and Employees) (Second Amendment) Regulations, 2022 (No. 3 of 2022)

published in Notification No. F. No. A-12013/13/RR/2016-UIDAI (No.3 of 2022) in Gazette of India dated 21st March, 2022.

[Placed in Library, See No. LT 7145/17/22]

... (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI DEVUSINH CHAUHAN): Sir, I beg to lay on the Table:-

- (1) A copy of the Indian Post Office (Amendment) Rules, 2022 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.402(E) in Gazette of India dated 30th May, 2022 under Section 74 of the Indian Post Office Act, 1898.

[Placed in Library, See No. LT 7146/17/22]

- (2) A copy of the Low Power Radio Frequency Devices in the frequency band 433.05 to 434.79 MHz (Exemption from License) Rules, 2022 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.347(E) in Gazette of India dated 11th May, 2022, under sub-section (5) of Section 7 of the Indian Telegraph Act, 1885 and sub-section (4) of Section 10 of the Indian Wireless Telegraphy Act, 1933.

[Placed in Library, See No. LT 7147/17/22]

... (*Interruptions*)